भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1940

दिनांक 29 दिसंबर, 2017 को उत्तर के लिए

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जाली नकद अंतरण

1940. श्रीमती रीती पाठकः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना के तहत नकद लाभ के नाम पर कई लोगों को धोखा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है और उक्त योजना का निष्पक्ष कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय/तंत्र अपनाया गया है?

उत्तर

डा. वीरेंद्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(क) और (ख) : बेटी बचाओ बेटी पढाओ (बीबीबीपी) लड़कियों को महत्व प्रदान करने तथा उनको सशक्त बनाने के लिए समाज की सोच परिवर्तित करने हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यह योजना मुख्य रूप से चुनौतिपूर्ण सोच तथा पितृसतात्मक समाज में गहरी जड़ जमाई प्रथाओं, पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम के कड़ाई से प्रवर्तन, बेटियों की शिक्षा को आगे बढ़ाने पर बल देती है : पूरे जीवन चक्र में महिला सशक्तीकरण के मुद्दों पर बल दिया जाता है। बीबीबीपी योजना में भारत सरकार द्वारा व्यक्तिगत नकद प्रोत्साहन/नकद अंतरण का कोई घटक नहीं है और इस प्रकार यह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना नहीं है। बीबीबीपी के नाम में लड़कियों को 2 लाख रुपये प्रत्येक के नकद लाभ का झूठा आश्वासन देने वाले कुछ शरारती लोगों द्वारा लोगों को बहकाने की यह फर्जीगत विधि शिकायतों/लोगों द्वारा भरे जा रहे और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के कार्यालय को भेजे जा रहे नकली फॉर्मों की प्रतियों के माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जानकारी में आई है। यह दिसंबर 2016 के अंत में किसी समय आनी शुरू हुई और समय के साथ बढ़ती गई।

(ग) : मंत्रालय द्वारा अब तक लाखों नकली/गैर कानूनी फॉर्म प्राप्त हुए हैं जिनके बारे में सूचित किया गया कि अनेक मामलों में उनको फर्जी तरीके से बेचा गया तथा कई मामलों में केवल फोटोकॉपी करके बेचा गया। इसके बाद व्यक्तियों के ब्यौरे भरे गए और मंत्रालय को भेजे गए। यह बीमारी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से शुरू हुई तथा हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा कम संख्या में अन्य राज्यों में फैल गई। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने संबंधित राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ मामले को उठाकर इस समस्या पर अंकुश लगाने के लिए तुरंत कार्रवाई की और निवारक कदम उठाए, जहां गैर कानूनी गतिविधि होने की सूचना प्राप्त हुई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव और संयुक्त सचिव द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के महिला एवं बाल विकास विभाग के मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों तथा जिला मजिस्ट्रेट को पत्र लिखे गए। कुछ जिलों में एफआईआर लिखाई गई है। मंत्रालय की बेवसाइट पर एक अस्वीकरण अपलोड किया गया है। प्रमुख समाचार पत्रों में हिंदी और अंग्रेजी में प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई। इस मंत्रालय ने ऐसी संदिग्ध गतिविधि का शिकार न होने हेतु आम जनता को सावधान करते हुए दूरदर्शन/आकाशवाणी तथा अन्य रेडियो स्टेशनों के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से भी मीडिया प्रचार अभियान चलाया है। डाक विभाग की सहायता भी ली गई। इस समस्या पर अंकुश लगाने के लिए राज्यों द्वारा भी आवश्यक कार्रवाई की गई।

*****